"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2009—ज्येष्ठ 15, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ऐसे राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवा भरती नियमों में उन पदों के संबंध में जिनकी पूर्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अयोजित "राज्य सेवा परीक्षा नियम" के माध्यम से की जाती है/की जानी है, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. आयु सीमा के संबंध में जहां कहीं शब्द "प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ" आये हैं. उसके स्थान पर शब्द "विज्ञापन जारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. यह संशोधन दिनांक 16 सितम्बर, 2008 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3 दिनांक 5 जून, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th June 2009

NOTIFICATION

No. F 19-1/2009/1/3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes further following amendments in the Gazetted and Non Gazetted Service Recruitment Rules in respect of the posts which are filled/are to be filled up through the "State Service Examination Rules" held by the Chhattisgarh Public Service Commission, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules :—

1. In respect of age limit wherever words "commencement of the competitive examination" have occurred in their place the words "the advertisement" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to be effective from 16th September, 2008.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.